निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1941 (श0)

(सं0 पटना 799) पटना, वृहस्पतिवार, 11 जुलाई 2019

सं० बी/विधि–व्यवस्था–02/2019–6617
गृह विभाग (विशेष शाखा)

संकल्प

24 जून 2019

विषय :– **राज्य के पुलिस थानों में अनुसंधान इकाई एवं विधि–व्यवस्था इकाई के पृथक्करण के संबंध में** (Separation of Investigation wing from Law & Order wing in Police Stations)

भारत के विधि आयोग की 154 वें प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) 310 of 1996; Prakash Singh & Ors. Vs. Union of India & Others में पारित न्यायादेश और बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के अध्याय V की धारा 36 से धारा 40 में विशेष अपराध जाँच इकाईयों (Special Offence Investigation Unit) के गठन के प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सभी पुलिस थानों में अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था को पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

पुलिस थानों में अनुसंधान इकाई एवं विधि–व्यवस्था इकाई को निम्न प्रकार पृथक किया जाएगा :–

2. **थाना के पदाधिकारियों का पदस्थापन**–दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार थानाध्यक्ष थाना के प्रभारी पदाधिकारी हैं। इनका पदस्थापन जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलादेश के माध्यम से किया जाता है।

अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था इकाईयों को पृथक करने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने में थानाध्यक्ष के अतिरिक्त निम्न पदाधिकारियों को भी जिलादेश के माध्यम से पदस्थापित किया जाएगा :–

क्र0 सं0	पदनाम	कोटि	कार्यों का विवरण
1.	**अपर थानाध्यक्ष (अनुसंधान)** Addl. SHO (Investigation)	पुलिस अवर निरीक्षक	अन्य कार्यों के अतिरिक्त अनुसंधान इकाई के संचालन में थानाध्यक्ष को सहयोग करना।
2.	**अपर थानाध्यक्ष (विधि–व्यवस्था)** Addl. SHO (Law & Order)	पुलिस अवर निरीक्षक	अन्य कार्यों के अतिरिक्त विधि–व्यवस्था इकाई के संचालन में थानाध्यक्ष को सहयोग करना।
3.	**मालखाना प्रभारी** (Malkhana Incharge)	पुलिस अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक	अन्य कार्यों के अतिरिक्त मालखाना का संचालन करना।
4.	**थाना लेखक पदाधिकारी** (Officer Writer)	पुलिस अवर निरीक्षक/ सहायक अवर निरीक्षक	अन्य कार्यों के अतिरिक्त थाना अभिलेख का संधारण करना।

अपर थानाध्यक्ष (अनुसंधान) एवं अपर थानाध्यक्ष (विधि–व्यवस्था) को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सी0यू0जी0 के सिम कार्ड एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

3. थाना के अनुसंधान इकाई एवं विधि–व्यवस्था इकाई में पदाधिकारियों का पदस्थापन –

(क) आदर्श स्थिति में प्रत्येक थाने में पदस्थापित कुल पदाधिकारियों की संख्या में से 50 प्रतिशत अनुसंधान हेतु एवं शेष 50 प्रतिशत विधि–व्यवस्था संधारण हेतु चिन्हित किये जाएँगे। किन्तु स्थानीय आवश्यकता होने पर काण्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा 75% तक अनुसंधान इकाई में एवं शेष 25% तक को विधि–व्यवस्था इकाई में पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ख) अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था इकाईयों में किसी पदाधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। उसके बाद उन्हें दूसरे इकाई में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(ग) थानों में दर्ज होने वाले काण्डों के अनुसंधानकर्ता मात्र अनुंसधान इकाई में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी ही होंगे। विधि–व्यवस्था में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को कांड का अनुसंधानकर्ता नहीं बनाया जाएगा।

(घ) विधि–व्यवस्था ईकाई में पदस्थापन हेतु युवा एवं नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(च) किसी भी पदाधिकारी को थानाध्यक्ष या अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थापन हेतु अनुसंधान इकाई एवं विधि–व्यवस्था इकाई में से प्रत्येक में न्यूनतम 2–2 वर्षों का अनुभव आवश्यक होगा।

4. **थानाध्यक्ष एवं अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थापन हेतु विशेष अर्हताएँ**– जिला पुलिस में कार्यकलाप को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि थानाध्यक्ष एवं अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर स्वच्छ सेवा अभिलेख वाले पदाधिकारी ही पदस्थापित किए जाएं। जिन पदाधिकारियों के संबंध में निम्न परिस्थितियाँ लागू हों वे इन दोनों पदों पर पदस्थापित नहीं किए जा सकते हैं –

(i) जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध (Convict) किया गया हो ;

(ii) जिन्हें किसी कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त (Accused) ठहराया गया हो;

(iii) जिन्हें Moral Turpitude के आरोप में विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया हो। निम्न आरोप इनकी परिधि में आएंगे–

(क) महिलाओं से दुर्व्यवहार

(ख) भ्रष्टाचार (Corruption)

(ग) अभिरक्षा में हिंसा (Custodial Violence)

(iv) जिन्हें विभागीय कार्यवाही/पु0ह0नि0–828(C) के संचालन के उपरान्त 3 अथवा उससे अधिक वृहत सजा मिली हो।

(v) यदि किसी पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो तो उसे थानाध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक नहीं बनाया जा सकता है।

(vi) यदि किसी थानाध्यक्ष/ओ0पी0 प्रभारी के क्षेत्रान्तर्गत शराब निर्माण, बिक्री, परिचालन अथवा उपभोग में उनकी संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है या क्षेत्रान्तर्गत मद्यनिषेध में उनके स्तर से कर्त्तव्यहीनता बरती जाती है तो उक्त पुलिस पदाधिकारी को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए थानाध्यक्ष/ओ0पी0 प्रभारी के पद पर पदस्थापित नहीं किया जायेगा।

5. थानों में अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था से संबंधित अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें भारी संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सहभागिता आवश्यक होती है यथा–

(i) असाधारण परिस्थिति यथा साम्प्रदायिक दंगा जैसी स्थिति में विधि–व्यवस्था बंदोबस्त

(ii) वी०वी०आई०पी० यथा राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की सुरक्षा

(iii) पुलिस और संगठित अपराधियों, नक्सलियों के बीच फायरिंग की घटना

(iv) व्यापक क्षेत्र में प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदा

ऐसी परिस्थितियों में थाने में पदस्थापित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करेंगे चाहे उनका पदस्थापन अनुसंधान इकाई में हो या विधि–व्यवस्था इकाई में। इस संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय थाना में पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों पर बाध्यकारी होगा।

6. भविष्य में पुलिस थानों में अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था के पृथक्करण को क्रियान्वित करने हेतु सभी आवश्यक निर्णय पुलिस महानिदेशक, बिहार के स्तर पर लिया जायेगा।

7. उपरोक्त व्यवस्था को दिनांक 15.08.2019 के प्रभाव से पूर्णतया लागू किया जाएगा।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाए।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पारस नाथ,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 799-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in